सं. 4-2(7) /12- डीडी-1

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली -110003

दिनांक 27 अप्रैल, 2016

**आदेश**

**विषय: डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, 264/3, गुलमोहर एवेन्यू (बेसमेंट), जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025 - इस संगठन को काली-सूची में डालने के संबंध में।**

जबकि डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, 264/3, गुलमोहर एवेन्यू (बेसमेंट), जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025 नामक संगठन को दिनांक 30.03.2011 के समसंख्यक स्वीकृति आदेश के माध्यम से वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान सहायक यंत्रों/ सहायक उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत इस मंत्रालय द्वारा 68.25 लाख रुपए सहायता अनुदान स्वीकृत की गई थी ताकि उत्तर प्रदेश के 16 आवंटित जिलों नामत: ईटा, अलीगढ़, कांशीरामनगर, मैनपुरी, इलाहाबाद, ईटावार, फारूखाबाद, कन्नौज, रामपुर, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, शाहजहानपुर, सिद्धार्थनगर और मोरादाबाद में सहायक यंत्र और उपकरण का वितरण किया जा सके।

2. जबकि, एडिप योजना के तहत प्राप्त सहायता अनुदान से सहायता प्राप्त लाभार्थियों (यदि 500 तक सहायता प्राप्त लाभार्थी हैं तो 10% और 500 से अधिक सहायता प्राप्त लाभार्थी हैं तो 5%) का 5 से 10% जिला-वार परीक्षण जांच रिपोर्ट कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवश्यक रूप से जमा किया जाना है जिसके साथ योजना के तहत यह संगठन आगे और सहायता अनुदान हेतु आवेदन करेगा या नहीं, के तथ्य पर ध्यान दिए बिना उपयोग प्रमाणपत्र, निर्धारित प्रपत्र में लाभार्थियों की सूची, प्राप्त सहायता अनुदान की पूरी राशि के बिल तथा वाउचर्स और आयोजित शिविरों के संबंध में प्रमाण हेतु अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं।

3. जबकि एडिप योजना में निहित प्रावधानों और स्वीकृति आदेश के अनुसार यह भी अनिवार्य है कि इस योजना के तहत जारी सहायता अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित वित्त वर्ष के अंत तक या अधिक से अधिक आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक उपयोग करना चाहिए तथा एक वित्त वर्ष हेतु अंतिम लेखा, उपयोग प्रमाण और वित्त वर्ष के समाप्त होने के छह माह के भीतर चार्टर्ड एकाऊंटेट द्वारा हस्ताक्षरित

लेखा परीक्षित खातों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार, इस योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त कर रही सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र और सहायता अनुदान के उपयोग के संबंध में सहायक दस्तावेजों अर्थात सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सूची, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की परीक्षण जांच रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते, उल्लेख किए गए अनुसार निर्धारित समयावधि में सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद और वितरण के प्रमाण में बिल/वाउचर्स प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. जबकि, एडिप योजना के तहत सहायता अनुदान जारी करने का नियंत्रण कर रही नियमों और शर्तों, स्वीकृति आदेश और इस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित बांड के अनुसार, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया है कि ''अनुदान ग्रही किसी अन्य संस्थान या संगठन को यह अनुदान नहीं देगा और इस योजना के निष्पादन या संबंधित कार्य को नहीं सौंपेगा और इस अनुदान के नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि अनुदानग्राही इस अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं करता है जिसके लिए स्वीकृति ली गई थी, तो अनुदान ग्राही को उस राशि पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से पूरी राशि वापिस करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, यदि भारत सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि स्वीकृत राशि को अनुमोदित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है, तो कार्यान्वयन एजेंसी से ब्याज सहित यह राशि वापिस वसूली जाएगी और उस एजेंसी को आगे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

5. अतेव, इस ट्रस्ट को वर्ष 2010-11 के लिए जारी जीआईए हेतु उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में तेजी लाने हेतु एक पत्र दिनांक 17.09.13 और एक अर्धशासकीय पत्र दिनांक 13.10.2013 को भेजा गया था। उसकी प्रतिक्रिया में उस ट्रस्ट ने दिनांक 20.12.2013 के पत्र के माध्यम से 2010-11 के दौरान जारी 68.25 लाख रूपये की सहायता अनुदान हेतु लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण प्रस्तुत किए जिसमें की गई भुगतान का सार, सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण हेतु की गई जिलावार व्यय संलग्न थी। इस ट्रस्ट ने यह भी कहा कि आपूर्ति की गई सहायक यंत्रों और उपकरणों की अतिरिक्त विस्तृत चार्ट साथ ही अन्य व्यय का विवरण और लाभार्थियों की सूची शीघ्र ही भेजी जाएगी। इसलिए इस ट्रस्ट से दिनांक 07.03.2014 के मंत्रालय के पत्र के जरिए शेष दस्तावेज नामत: सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सूची, परीक्षण जांच रिपोर्ट, आईएसआई मानक के सहायता यंत्रों/उपकरणों की खरीद और वितरण के प्रमाण के रूप में बिल/वाउचर, शिविरों की फोटोग्राफ आदि प्रस्तुत करने हेतु पुन: अनुरोध किया गया।

6. जबकि, इस मंत्रालय ने इस ट्रस्ट को 30.04.2014 तक अपेक्षित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 21.04.2014 के पत्र के जरिए याद दिलाया। इस ट्रस्ट ने 28.04.2014 के पत्र के जरिए जिला स्तर पर इन दस्तावेजों को पुन: सत्यापित कराने के कारणों और उस समय आम चुनाव का कारण बताया और मई

2014 के अंत तक समयवधि बढ़ाने की मांग की। इस मामले की जांच करने के बाद, इस ट्रस्ट को अपेक्षित सभी दस्तावेजों को 31.05.2014 तक जमा करने हेतु दिनांक 15.05.2014 के मंत्रालय के पत्र के जरिए एक अंतिम अवसर दिया गया था, ऐसा न करने पर एडिप योजना में निहित प्रावधानों, के साथ-साथ दिनांक 30.03.2011 के समसंख्यक स्वीकृति आदेश में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार 2010-11 के दौरान इस ट्रस्ट को जारी सहायता अनुदान को वापिस वसूल करने हेतु इस ट्रस्ट के विरूद्ध मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी।

7. जबकि, इस ट्रस्ट ने मंत्रालय से वर्ष 2010-11 के लिए सहायता अनुदान के संबंध में परीक्षण जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु आवश्यकताओं के बारे में और स्पष्टीकरण मांगा था जिसमें यह बताया गया कि उन्हें एडिप योजना के तहत आगे और सहायता अनुदान की मांग करने हेतु कोई इरादा नहीं है। चूंकि इस ट्रस्ट की ओर से 2010-11 के दौरान जारी की गई 68.25 लाख रूपये की सहायता अनुदान के संबंध में 16 जिलों से सभी लाभार्थियों की परीक्षण जांच रिपोर्ट साथ ही सभी अन्य दस्तावेजों का प्रस्तुत करना अनिवार्य है इसलिए दिनांक 15.05.2014 के मंत्रालय के पत्र के अनुसार इस ट्रस्ट को अपेक्षित स्पष्टीकरण भेजा गया था।

8. जबकि, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, इस न्यास ने 2010-11 के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदान के उपयोग से संबंधित शेष प्रासंगिक दस्तावेज अर्थात लाभार्थियों की सूची, बिल/वाउचर, परीक्षण जांच रिपोर्टे जमा नहीं किए हैं। अत: दिनांक 27.06.2014 के पत्र के माध्यम से इस ट्रस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद उन्हें दिनांक 31.07.2014 तक स्पष्टीकरण देने हेतु दिनांक 23.07.2014 को एक स्पष्टीकरण पत्र भी जारी किया गया था। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि सहायता अनुदान की पूरी राशि को दंडात्मक ब्याज सहित वसूली हेतु इस ट्रस्ट के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी, साथ ही यदि दिनांक 31.07.2014 तक स्पष्टीकरण नहीं दी जाती है तो इस ट्रस्ट को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

9. अतेव, 31 जुलाई, 2014 के पत्र के माध्यम से, इस ट्रस्ट ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए:-

(i) खरीदी गई सहायक यंत्रों और उपकरणों की तथा उनकी आपूर्ति से संबंधित बिलों की प्रतियां तथा परिवहन प्रभार की प्रतियां।

(ii) 10 जिलों के लाभार्थियों की सूची अर्थात् मोरादाबाद शहर, मैनपुरी, कांशी राम नगर, गौतम बुद्ध नगर, फारूखाबाद, ईटावा, ईटा, बरेली, इलाहाबाद और अलीगढ़।

(iii) शिविरों के फोटोग्राफ की प्रतियां।

(iv) शिविरों के आयोजन से संबंधित प्रेस कटिंग की प्रतियां।

(v) डॉ. जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट के कोरे प्रपत्र की प्रति जिसे प्रत्येक लाभार्थी द्वारा भरा जाना है।

(vi) दस्तावेजों की सूची जिसे ट्रस्ट को प्रत्येक लाभार्थी से अपेक्षित है।

10. जबकि, ट्रस्ट ने दिनांक 14.08.2014 के पत्र के माध्यम से शेष 6 जिलों अर्थात् बुलंदशहर, कन्नौज, मेरठ, रामपुर, शाहजहानपुर और सिद्धार्थ नगर के लाभार्थियों की सूची और शिविरों की कुछ फोटोग्राफ सहित अग्रेषित भी की थी।

11. जबकि, मंत्रालय में ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई दस्तावेजों की विस्तृत जांच करने पर, लाभार्थियों की सूची में कुछ विसंगतियों पाई गईं। अत: दिनांक 10.02.2015 को उस संगठन को एक विस्तृत पत्र भेजा गया था जिसमें 28.02.2015 तक इसका समाधान करने हेतु बताया गया था। इस संबंध में, ट्रस्ट से दिनांक 26.02.2015 को इसकी प्रतिक्रिया में निम्नलिखित से अवगत कराया

(i) मैनपुरी और कांशीराम नगर जिलों के लाभार्थियों की सूची में विसंगतियों से संबंधित स्थिति को स्पष्ट किया।

(ii) बताया गया कि वेंडर से स्पष्टीकरण/खरीद की डुपलिकेट बिल मांग की प्रक्रिया शुरू की गई और वेंडर से यह प्राप्त होते ही यथाशीघ्र प्रेषित किया जाएगा।

(iii) शीघ्र ही शाहजहांनपुर जिले से संबंधित बिल और वाउचर भेजा जाएगा।

(iv) परीक्षण जांच रिपोर्ट के संबंध में, समन्वय के लिए शिविरों की व्यवस्था कर रहे ट्रस्ट के स्वयं सेवकों के माध्यम से जिला दिव्यांग कल्याण कार्यालय को लाभार्थियों की सूची भेजने हेतु व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की गई है ताकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार परीक्षण जांच आयोजित की जा सके और निर्धारित प्रपत्र में परीक्षण जांच रिपोर्ट भेजी जा सके।

(v) मैनपुरी, कांशी राम नगर, बुलंदशहर और फारूखाबाद जिलों में उनके द्वारा कवर किए गए लाभार्थियों की सही संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण भेजी गई है।

(vi) 2010-11 के दौरान जारी की गई जीआईए के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 16 जिलों के लाभार्थियों की सूची निर्धारित प्रपत्र में भेजी गई।

(vii) मंत्रालय द्वारा विसंगतियों में सुधार करने के बाद कांशीराम नगर जिले के 86 लाभार्थियों की सूची भेजी गई है।

12. जबकि, बिल और वाउचर्स के समायोजन के लिए, ताकि मंत्रालय की रिकार्ड के साथ मिलान किया जा सके, ट्रस्ट ने (क) संलग्न दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ 21.10.2013 के उनके उपयोग प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने, और (ख) मैनपुरी और कांशीराम नगर जिलों के संबंध में लाभार्थियों की सूची की प्रतियों को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध भी किया गया था। मंत्रालय द्वारा संगठन के अनुरोध पर विचार करने पर, दिनांक 01.05.2015 के मंत्रालय के पत्र के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज ट्रस्ट को प्रेषित किए गए।

13. अतेव, दिनांक 01.05.2015 के पत्र के माध्यम से ट्रस्ट को मंत्रालय द्वारा दस्तावेज अग्रेषित करने के बावजूद, संगठन के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुपालनात्मक कार्रवाई लंबित है:-

I संगठन ने 2010-11 के दौरान सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए मात्र 60,44,695.00 रूपये की राशि हेतु बिल प्रस्तुत किए थे जबकि जारी सहायता अनुदान की राशि 68.25 लाख रूपये थी। अब तक, शेष राशि अर्थात 7,80,305.00 रूपये हेतु बिल प्रस्तुत नहीं की गई है। मदों का विवरण जिसके लिए स्पष्टीकरण/बिल और वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इस प्रकार हैं:-

   i. स्टाफ को वेतन के रूप में भुगतान की गई 2,40,000/- रूपये, एडिप योजना के तहत स्वीकार्य नहीं है।
   ii. 1,76,590/- रूपये की प्रचार-प्रसार हेतु किए गए व्यय के लिए बिल वाउचर्स।
   iii. शाहजहांनपुर शिविर के लिए खरीदी गई सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए 1,16,220/- रूपये हेतु बिल वाउचर्स।
   iv. सभी 16 जिलों के लिए हियरिंग एड की खरीद हेतु 1,33,700/- रूपये के लिए बिल वाउचर्स।
   v. 3,58,691/- रूपये के लिए यात्रा, भोजन और आवास के विवरण।

II सभी 16 जिलों के लिए 2010-11 हेतु निर्धारित प्रपत्र में परीक्षण जांच रिपोर्ट जमा करना।

14. जबकि, ट्रस्ट को 20.12.2015 तक स्पष्टीकरण देने हेतु अवसर देते हुए मंत्रालय द्वारा 04.12.2015 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह पूछा गया था कि उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई क्यों न की जाए, शेष राशि हेतु बिल प्रस्तुत न करने के लिए दंडात्मक ब्याज सहित 7,80,305.00 रूपये की शेष राशि की वसूली क्यों न की जाए जिसमें उक्त राशि की वसूली के लिए ट्रस्ट के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करना शामिल है तथा एडिप योजना के तहत और सहायता अनुदान के उद्देश्य हेतु इस संगठन

को कालीसूची में क्यों न डाली जाए। इस संबंध में ट्रस्ट ने 29.12.2015 के पत्र के माध्यम से, मांगी गई प्रासंगिक सूचना को जमा करने के लिए 15 जनवरी 2016 तक समय को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया था।

15. अतेव, ट्रस्ट से 15.01.2016 का पत्र प्राप्त हुआ था जो 2010-11 के लिए परीक्षण जांच रिपोर्ट के बारे में था, जिसमें यह कहा गया था कि मंत्रालय परीक्षण जांच आयोजित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मामले को उठा सकती है। यह भी बताया कि 10.02.2015 के मंत्रालय के पत्र के उत्तर में, ट्रस्ट ने 20.02.2015 के अपने पत्र के माध्यम से परीक्षण जांच रिपोर्ट आयोजित करने के लिए संबंधित जिलों के जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को पहले ही पत्र लिखा था। परीक्षण जांच रिपोर्ट आयोजित करने हेतु संबंधित जिलों के जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को अपने पत्र लिखने के संबंध में मंत्रालय को एक वर्ष की अवधि के बाद सूचित किया जा रहा है।

16. अब, उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से 68.25 लाख रूपये की सहायता अनुदान की पूर्ण स्वीकृत राशि हेतु बिल/वाउचर्स जमा न करने तथा एडिप योजना के तहत 2010-11 के दौरान सहायता अनुदान के संबंध में समय पर परीक्षण जांच रिपोर्ट जमा न करने के संबंध में, लोक हित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत आगे और वित्तीय सहायता हेतु डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, 264/3, गुलमोहर एवेन्यू (बेसमेंट), जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 नामक संगठन को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया है तदनुसार आदेश दिया जाता है।

17. इस आदेश को किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है कि इस मामले में आगे किसी भी संदर्भ के बिना डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के विरूद्ध उनकी भूल चूक के लिए कार्रवाई शुरू की जाए।

(एस.के. महतो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-24369027

**सेवा में,**

**परियोजना निदेशक**
**डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट**
**264/3, गुलमोहर एवेन्यू (बेसमेंट),**
**जामिया नगर, नई दिल्ली-110025**

**प्रतिलिपि प्रेषित:-**

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के सभी ब्यूरो प्रमुख/निदेशक/उप सचिव।
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के सभी ब्यूरो प्रमुख/निदेशक/उप सचिव।
3. विशेष सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
4. अवर सचिव (स्थापना), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि विभाग की वेबसाइट पर इस आदेश की प्रति अपलोड की जाए।
5. महानिदेशक ऑडिट, महानिदेशक ऑडिट (केंद्रीय व्यय) का कार्यालय, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002

**प्रतिलिपि –**

सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव / सचिव (डीएसजेएंडई) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।